



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1945 (श10)
(सं० पटना 788) पटना, शनिवार, 30 सितम्बर 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
30 सितम्बर 2023

एस० ओ० 242 दिनांक 30 सितम्बर 2023—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 284 दिनांक 16 नवम्बर, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 1081, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी, "उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन संरचना उद्ग्रहण", शब्दों और अंक के पश्चात् "उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (102 क) में परिभाषित निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के सिवाय अन्य," शब्दों और अंकों को अंतःस्थापित किये जायेंगे।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड- 12) 3493)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ०प्रतिमा ,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

30 सितम्बर 2023

एस० ओ० 242 दिनांक 30 सितम्बर 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12)3493)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 30th September 2023

S.O. 242 Date 30 September 2023—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017) (hereinafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 284, dated the 16th November, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 1081, dated the 16th November, 2017, namely : —

In the said notification, with effect from the 1st October, 2023, after the words and figures “composition levy under section 10 of the said Act”, the words and figures “, other than the registered person making supply of specified actionable claims as defined in clause (102A) of section 2 of the said Act,” shall be inserted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12) 3493)]

By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 788-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>